केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00108
CICOM/R/P/20/00349

अपीलकर्ता : **श्री अभिषेक कुमार**
C/o श्री जय शंकर तिवारी
बुनियाद नगर, भनपुरी
पो0 - बिरगांव, जिला - रायपुर
छत्तीसगढ़ - 493221.

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
21 DEC 2020
D. No.......
Initials.......

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.08.2020
केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने की तिथि	18.08.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	11.09.2020,17.09.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री राम कुमार, श्री बी. एस. कसाना
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	22.10.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	25.11.2020
निर्णय की तारीख	21.12.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 09.08.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से शिकायत सं. CIC/MORLY/C/2018/134860 से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. आर.टी.आई. की धारा 6(1) के तहत कितने दिनों में प्राप्त होती है अगर सूचना देने में देरी होती है तो इसके लिए सूचना आयुक्त/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी सूचना के साथ प्रति दें ।
2. आर.टी.आई. आवेदन 09/04/2018 पर दिनांक 06.01.2020 और 10.01.2020 सीपीआईओ किस नियम के तहत सूचना दिया या सूचना आयुक्त सूचना देने के लिए आदेश दिया इसकी प्रमाणित प्रति दें ।
3. अगर सूचना आयुक्त को आर.टी.आई. की धारा 18 के तहत शिकायत की जाती है तो आर.टी.आई. की धारा 19 (3) के तहत सुनवाई किस नियम के तहत सुनवाई करते हैं ।
4. सूचना आयुक्त को जब आर.टी.आई. का ज्ञान नहीं है किस नियम के तहत सुनवाई करता है ।
5. CIC/MORLY/C/2018/134860 Dtd : 14/01/2020 के तहत रेलवे बोर्ड द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज एवं शपथ-पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं जो कि सही समय पर सूचना उपलब्ध कराये थे ।
6. 14/01/2020 की सुनवाई में उपस्थित हुए सीपीआईओ का प्रमाण दें । नहीं तो श्री नीरज कुमार गुप्ता किस नियम के तहत गलत आदेश दिया इसकी सूचना दें, क्योंकि मेरे अनुसार श्री राकेश कुमार, उप -निदेशक, आर.टी.आई. सेल, एम/ओ रेलवे, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के अलावा कोई उपस्थित नहीं था ।
7. आयोग में शपथ-पत्र 15 दिन में जमा नहीं किया, तो सूचना आयुक्त द्वारा आर.टी.आई. की धारा 20(1) और 20 (2) के तहत की गई कारवाई की प्रति दें, अगर नहीं तो किस नियम के तहत नहीं किए उसकी प्रति दें ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 11.09.2020 के पत्र के माध्यम से बिंदु सं. 1, 2, 3 एवं 4 तथा श्री बी. एस. कसाना, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2020 के पत्र के माध्यम से बिंदु सं. 5, 6 एवं 7 के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई :-

O/C

---2/-

1. आपने सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में उल्लिखित सूचना की परिभाषा के अनुसार सूचना नहीं मांगी है, बल्कि पूछ-ताछ की है, जिसका उत्तर दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपेक्षित नहीं है ।
2. आपने 09.04.2018 का आर.टी.आई. आवेदन किस विभाग को भेजा, यह उल्लेख नहीं कियाहै तथा जिस विभागके सी.पी.आई.ओ. ने सूचना दी उस विभाग का नाम भी नहीं लिखा है । कृपया संबंधित विभाग से ही सूचना प्राप्त करें।
3. सूचना उपलब्ध नहीं है ।
4. मनगढंत सवाल का जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है ।
5. आयोग में आदेश सं. CIC/MORLY/C/2018/134860 दिनांक 14.01.2020 के संबंध में प्रतिवादीगण पक्ष से कोई भी दस्तावेज एवं शपथ-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।
6. आदेश सं. CIC/MORLY/C/2018/134860, जिसकी सुनवाई दिनांक 14.01.2020 को हुई थी, उस सुनवाई में उपस्थित प्रतिवादीगण की उपस्थिति का प्रमाण प्रतिलिपि संलग्न है । (संलग्नक 'अ')
7. रिकार्ड में कोई शपथ-पत्र मौजूद नहीं है । इस विषय में यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 20 (1) और 20 (2) के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि उक्त धारायें किसी के शिकायत या अपील की सुनवाई के दौरान फैसला लेते वक्त, कार्यवाही से संबंधित है ।

प्रथम अपील का आधार

3. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा अनुरोध किया है कि आर.टी.आई. आवेदन में वर्णित सभी मदों की सूचना आर.टी.आई. की धारा 7 (6) के तहत मुफ्त प्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करवाई जाए ।

निर्णय

4. प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 09.08.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों श्री राम कुमार एवं श्री बी. एस. कसाना द्वारा क्रमश: दिनांक 11.09.2020 एवं 17.09.2020 के पत्रों के माध्यम से प्रेषित की गई सूचनाओं के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी केवल वही सूचना प्रदान कर सकता है जो किसी लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है या लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में है । जन सूचना अधिकारी से सूचना निर्मित करने या एकत्र करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यह रिकार्ड का हिस्सा नहीं है । उक्त परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही है । अत: इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख : 21 दिसम्बर, 2020

मीनाशर्मा 21/12/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री बी. एस. कसाना, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

21/12/20